

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उ०प्र०।
3. अध्यक्ष,  
समस्त विशेष क्षेत्र,  
विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
4. नियंत्रक प्राधिकारी,  
समस्त विनियमित क्षेत्र,  
उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 26 अप्रैल, 2023

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेशों के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या-531(1)/आठ-3-2023 दिनांक 09.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेशों के अनुपालन में अभिकरणों के अन्तर्गत जनित होने वाले सी० एण्ड डी० (Construction & Demolition) अपशिष्ट का आंकलन कर सूचना मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० एवं शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में अद्यतन सूचना/विवरण संलग्न प्रारूप पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(राकेश कुमार मिश्र)  
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभिकरणों से सूचना/विवरण प्राप्त करते हुए समेकित सूचना सूचीबद्ध कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार मिश्र)  
विशेष सचिव।

प्रारूप

(सी०एण्डडी० अपशिष्ट / ठोस अपशिष्ट संबंधी सूचना का विवरण।)

अभिकरण	एस०टी०पी० स्थल	एस०टी०पी० की क्षमता	क्रियान्वयन की स्थिति	क्रियान्वयन एजेन्सी
1	2	3	4	5